देश के लिए.....अव्यवस्था के खिलाफ.....

जवाब दो!!!सरकार...

www.jawabdosarkar.com

E-Newsletter, Issued in Public Interest

गुरुवार, 19 दिसम्बर 2019

रेफरेंस संख्या –2019/bkr04

Part-2

कांग्रेस सरकार में पूर्व मंत्री रहे अशोक बैरवा की पत्नी आशा देवी के नाम आवंटित शराब की दूकान को क्यों नहीं निरस्त कर रहे है जयपुर शहर के आबकारी अधिकारी?

देश के लिए.....अव्यवस्था के खिलाफ.....

जवाब दो!!!सरकार...

www.jawabdosarkar.com

E-Newsletter, Issued in Public Interest

कर्तव्यपरायणता बनाम डील?

शराब में मिलावट करते दो जनों को रंगे हाथों गिरफ्तार करने के बावजूद आबकारी विभाग शराब की दूकान का लाईसेंस निरस्त क्यों नहीं कर रहा?

कांग्रेस सरकार में पूर्व मंत्री रहे अशोक बैरवा की पत्नी आशा देवी की दूकान पर आबकारी विभाग ने औचक निरिक्षण कर,कार्यवाही को दिया अंजाम

दिनांक 03/11/2019 को रविवार के दिन, आबकारी निरीक्षक श्रीमति इंदु यादव द्वारा जयपुर शामीण के सहायक आबकारी अधिकारी श्री गौरव मणि जौहरी के दिशा-निर्देशों में प्रातः 10 से 11 बजे के आस पास सांगानेर क्षेत्र के जोन-11 में स्थित कांग्रेस सरकार में पूर्व मंत्री रहे अशोक बैरवा की पत्नी लाईसेंसी आशा देवी की शिप्रा पथ,मानसरोवर स्थित अंग्रेजी शराब की दुकान का औचक निरिक्षण किया|सूत्रों के अनुसार आबकारी निरीक्षक श्रीमति इंदु यादव ने दो व्यक्तियों नरेन्द्रसिंह व अन्य को रॉयल स्टेग,इम्पीरियल ब्लू,ब्लेंडर प्राइड व अन्य ब्रांडों की नकली शराब बनाते/शराब में पानी मिलाते हुए रंगे हाथों पकड़ा था,मौके पर उन्हें शराब के 100 से 200 के बीच उपरोक्त ब्रांडेड शराब के नए ढक्कन मय सील,खाली बारदाना और बड़ी मात्रा में पानी भी जब्त किया था,इन सामग्रियों का उपयोग कर, दोनों व्यक्ति पानी/अन्य रसायन/छोटे ब्रांड की शराब को बारदाने में भर कर ढक्कन मय सील का उपयोग करके मिलावटी शराब बना रहे थे,इन दोनों व्यक्तियों को आबकारी निरीक्षक श्रीमति इंदु यादव और सहायक जिला आबकारी अधिकारी श्री गौरव मणि जौहरी मौके से गिरफ्तार कर आबकारी कार्यालय ले आये,जहाँ

लाईसेंसी आशा देवी की शिप्रा पथ,मानसरोवर स्थित अंग्रेजी शराब की दुकान

पता:-S1,झारखंड अपार्टमेंट,सगत सिंह मोड,जनरल सगत सिंह मार्ग,खातीपुरा,302012 मोबाइल:-9828346151 पेज 1

पिछली रिपोर्ट में किया था खुलासा;कांग्रेस सरकार में पूर्व मंत्री रहे अशोक बैरवा की पत्नी आशा देवी की दूकान पर आबकारी विभाग के औचक निरिक्षण में मिलावटी शराब बनाते हुए पकडे थे 2 व्यक्ति

पिछली रिपोर्ट में हमने खुलासा किया था कि मिलावटी शराब बनाते हुए 2 व्यक्तियों को रंगे हाथों पकडे जाने के बावजूद जयपुर शहर के आबकारी अधिकारी मामले को आबकारी प्रयोगशाला में जांच के नाम पर भेज कर मार्च(पूरा एक साल) तक मामले को टालने की तमाम कोशिशे कर रहे है|इस मामले में हमारे द्वारा किये गया सुचना आवेदन में दस्तावेज नही देने से,उस पर मोहर लगती नजर आ रही है|

सुचना के अधिकार के तहत मांगी गयी थी सभी सूचनाएं

इस पूरे मामले की गहराई से तहकीकात करने के लिए हमारे द्वारा सुचना के अधिकार के तहत आवेदन किया गया था|परन्तु जिसका अंदेशा था वही हुआ,लोक सुचना अधिकारी श्री सुनील भाटी द्वारा हमारे दावों को पुख्ता करते हुए,वह तमाम सुचना देने से मना कर दिया जिससे इस मामले का भंडाफोड़ हो सकता था|

यह बताया सुचना आवेदन के जवाब में|

हमारे सुचना आवेदन के जवाब में श्री भाटी द्वारा अपने पत्रांक 11445 के माध्यम से यह बताया कि उनकी टीम द्वारा मुखबीर की सुचना पर यह औचक निरिक्षण किया गया था,जिसमे दो व्यक्तियों श्री नरेंद्र सिंह पुत्र श्री हनुमान सिंह एवं श्री मनोहर सिंह पुत्र श्री गुमान सिंह ,जिनके नौकरनामे भी स्वीकृत नहीं थे,को मदिरा दूकान के अंदर ही मिलावटी शराब बनाते हुए रंगे हाथों पकड़ा था,दी गयी जानकारी में बताया गया कि उक्त प्रकरण में मदिरा दूकान से बड़ी मात्रा में नकली शराब व बारदाना बरामद किया था|

यह सूचनाएं नहीं दी|

श्री भाटी द्वारा अपने सुचना पत्रांक 11445 के क्रम में,औचक निरिक्षण की कार्यवाही से सम्बंधित फर्द सील,जांच रिपोर्ट,मौका रिपोर्ट,चालान,कोर्ट केस सम्बन्धी दस्तावेज,नकली/मिलावटी शराब और बारदाने की प्रयोगशाला में करवाई गयी जांच रिपोर्ट को सुचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 8 (क) (ज) के तहत देने से मना कर दिया|

आखिर क्यों डाल रहे है पारदर्शिता पर पर्दा?

आबकारी नियमों के तहत ऐसे मामलों में पारदर्शिता बताते हुए शराब की दूकान का लाईसेंस निरस्त कर दिया जाता है,परन्तु आबकारी अधिकारियों की मंशा इस दूकान को अगले वर्ष के फरवरी मार्च महीने तक अटकाए रखने की है,जिससे केवल एक महीने के लिए ही इस दूकान को निरस्त करना पड़ेगा और लाईसेंसी का पुरा पैसा वसूल हो जायेगा|आबकारी अधिकारियों की इस चाल से जहाँ सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी|सुनने में आया है कि इस जीवनदान से लाईसेंसी का सिर कढाई और पांचो उंगलियाँ घी में है और वह खुलकर मिलावटी शराब बनाने में व्यस्त है|

बड़ा सवाल?

सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब विभाग के जिम्मेदार अधिकारियों द्वारा रंगे हाथों अभियुक्तों को मिलावट करते पकड़ा था,तो इसी मजबूत साक्ष्य के आधार पर क्यों दूकान को निरस्त नहीं किया जा रहा है?इसके बारे में आबकारी अधिकारी क्या यह तर्क देंगे कि मौका ए वारदात पर अभियुक्त गण मिलावट नहीं कर,महज बोतलों को साफ़ करने का काम कर रहे थे|

कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी, जयपुर शहर

क्रमांकः- 11445 दिनांक - 12/12/19

श्री ज्ञानेश कुमार
4/209, बी चित्रकूट योजना
वैशाली नगर जयपुर।

विषयः- सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत सूचना उपलब्ध कराने बाबत।

प्रसंगः- आपका प्रार्थना पत्र दिनांक 04.11.2019

उपरोक्त विषयान्तर्गत आप द्वारा सूचना के अधिकार के अधिनियम 2005 के अन्तर्गत चाही गई सूचना बिन्दुवार सूचना निम्नानुसार है:-

बिन्दू संख्या 1:- सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत अधिसूचना क्रम संख्या 8 के प्रकट किए जाने से छूट-(क)(ज) के अनुसार दिया जाना सम्भव नहीं है।

बिन्दू संख्या 2:- सूचना मुखबीर से प्राप्त हुई थी।

बिन्दू संख्या 3:- प्रकरण में मौके पर मदिरा दुकान से दो व्यक्ति श्री नरेन्द्र सिंह पुत्र श्री हनुमान सिह एवं श्री मनोहर सिंह पुत्र श्री गुमान सिंह को गिरफ्तार किया गया था।

बिन्दू संख्या 4:- दोनो व्यक्तियों के उक्त मदिरा दुकान के नौकरनामें स्वीकृत नहीं थे।

बिन्दू संख्या 5:- मदिरा दुकान में ही किया जा रहा था।

बिन्दू संख्या 6:- उक्त प्रकरण में मदिरा दुकान से 7 गत्ता कार्टन में रखे नकली व पुनः भराई युक्त 6 पव्वें Mcdowells no. 1 Deluxe Whisky, 2 अद्दे Mcdowells no. 1 Celebration XXX Rum, 3 पव्वें Mc Dowells Green Label The Rich Blend Whisky, 4 पव्वें Premium RomanovVodka Orange Flavoured, 5 बोतल Blenders Pride Select Premium Whisky, 9 बोतल Black Dog Triple Gold Reserve Blended Scotch Whisky,12 बोतल Signature Premium Grain Whisky, 26 पव्वें Imperial Blue Superior Grain Whisky, 14 अद्दे Royal Stag Delux Whisky तथा 11 अद्दे Blenders Pride Select Premium Whisky भरे बरामद किये गये।

बिन्दू संख्या 7:- उक्त प्रकरण मे मदिरा दुकान से दो गत्ता कार्टन में 129 ग्वाला कैप तथा 171 रिंग कैप कुल 300 कैप, 3 प्लास्टिक की बोतलों में शराब जैसा प्रतीत होने वाला करीब 3 लीटर रंगीन द्रव, 27 खाली मोनो कार्टन एवं 26 खाली बोतले (बिना ढक्कन) बरामद की गई।

बिन्दू संख्या 8:- आबकारी निरीक्षक के स्तर से नियमित रूप से की जाने वाली कार्यवाही थी।

बिन्दू संख्या 9:- श्री गौरव मणि जौहरी, का सहायक आबकारी अधिकारी जयपुर ग्रामीण में पदस्थापन होने के साथ सहायक आबकारी अधिकारी जयपुर शहर का भी अतिरिक्त चार्ज होने के कारण राजकार्य के लिए आबकारी कार्यालयों में आने के लिए स्वतंत्र है।

बिन्दू संख्या 10:- आबकारी निरीक्षक के द्वारा मौके की कार्यवाही दिनांक 03.11.2019 को पूर्ण कर उक्त मदिरा दुकान को बाद कार्यवाही चिट चस्पा कर सील किया गया था।

बिन्दू संख्या 11:- आबकारी निरीक्षक के द्वारा उक्त कार्यवाही की कोई फोटोग्राफी नही कराई गई है।

बिन्दू संख्या 12:- उक्त प्रकरण में मीडिया में प्रकाशित होने को लेकर कोई गोपनियता नही रखी गई है।

बिन्दू संख्या 13:- आबकारी प्रयोगशाला, सांगानेरी गेट, जोन जयपुर एवं संबंधित मदिरा निर्माता इकाईयों को भेजे गये है।

बिन्दू संख्या 14:- सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत अधिसूचना क्रम संख्या 8 के प्रकट किए जाने से छूट-(क)(ज) के अनुसार दिया जाना सम्भव नहीं है।

(सुनील भाटी)
जिला आबकारी अधिकारी
जयपुर शहर